कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
(कॉलोनी सेल विभाग)

क्रमांक ...1557.../कॉलोनी सेल/2025 दिनांक 3 MAR 2025

प्रति,

1. रेवाचन्द्र पिता श्री सेवाराम, 2. श्री लालचन्द्र पिता श्री सेवाराम, 3. श्री राजकुमार पिता श्री सेवाराम, 4. श्री कन्हैयालाल पिता श्री सेवाराम, 5. श्री प्रकाश पिता श्री सेवाराम, सभी निवासीः– 189, पलसीकर कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)

विषयः– **ग्राम निरंजनपुर, तहसील व जिला इंदौर की भूमि खसरा क्रमांक 416/4 पार्ट, 416/8, 416/4 पार्ट, 416/7, 416/4 पार्ट, 417/3, 417/4, 416/4 पार्ट, 416/5, 417/2 कुल रकबा 3.176 हेक्टेयर भूमि में से 30290 वर्गमीटर पर प्रस्तुत अभिन्यास अनुसार आवासीय सह वाणिज्यिक प्रयोजन के संबंध मे।**

संदर्भः– **भू–अर्जन अधिकारी इन्दौर विकास प्राधिकारी इन्दौर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1019/भू–अर्जन/2025 दिनांक 28/02/2025 के क्रम में।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि ग्राम निरंजनपुर, तहसील व जिला इंदौर की भूमि खसरा क्रमांक 416/4 पार्ट, 416/8, 416/4 पार्ट, 416/7, 416/4 पार्ट, 417/3, 417/4, 416/4 पार्ट, 416/5, 417/2 कुल रकबा 3.176 हेक्टेयर भूमि में से 30290 वर्गमीटर पर प्रस्तुत अभिन्यास अनुसार आवासीय सह वाणिज्यिक प्रयोजन विकास हेतु आपके द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8176/14 में पारित आदेश दिनांक 27/01/2016 के क्रम में आपके द्वारा विकास अनुज्ञा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4315 दिनांक 21/03/2018 से प्राप्त की गई थी।

प्रकरण में भू–अर्जन अधिकारी इन्दौर विकास प्राधिकारी इन्दौर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1019/भू–अर्जन/2025 दिनांक 28/02/2025 प्रेषित कर उल्लेख किया गया है, कि "ग्राम निरंजनपुर, तहसील व जिला इंदौर की भूमि खसरा नंबर 416/4, 416/5, 417/2, 417/3 कुल क्षेत्रफल 3.318 हेक्टेयर भूमि इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 114 भाग–2 के अंतर्गत स्थित है, उक्त भूमि का मूल भू–धारक श्री मनोहर देव (देवश्री सिनेमा) को प्राधिकारी के संकल्प 221 दिनांक 30/11/1992 द्वारा योजना अंतर्गत निजी विकास की अनुमति दी गई थी। प्राधिकारी द्वारा भू–धारक के साथ निजी विकास अनुमति का इकारारनामा भी निष्पादित किया गया था। अनुमति सिर्फ "ड्राइव–इन–सिनेमा"के लिए दी गई थी, लेकिन भू–स्वामी द्वारा इकरारनामा की शर्तो का उल्लघन किया गया, जिसके कारण प्राधिकारी द्वारा संकल्प 105 दिनांक 02/06/2014 से निजी विकास अनुमति को निरस्त किया गया। उक्त विषयांकित भूमि का भू–स्वामी द्वारा इसी बीच रेवाचंद एवं अन्य को विक्रय कर दिया गया एवं माननीय न्यायालय में पिटिशन दायर की गई WP3479/2015 आदेशिका दिनांक 01/06/2015 द्वारा स्थगन जारी किया गया था। जो अभी तक प्रचलित है। उक्त भूमि के संबंध में नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक 4322/कॉ.सेल/18 दिनांक 21/03/2018 को आवेदकगण 1. रेवाचन्द्र पिता श्री सेवाराम, 2. श्री लालचन्द्र पिता श्री सेवाराम, 3. श्री राजकुमार पिता श्री सेवाराम, 4. श्री कन्हैयालाल पिता श्री सेवाराम, 5. श्री प्रकाश पिता श्री सेवाराम को विकास अनुमति जारी की गई है, जबकि उक्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है। विकास अनुमति के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि आवेदक द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम विकास विभाग इन्दौर से अभिन्यास स्वीकृत नही कराया गया है। विकास अनुमति में उसको (DEEMMEND PERMISSION) माना गया है। इसी प्रकार उक्त भूमि के व्यपवर्तन का आदेश भी स्पष्ट नही है। उनको भी (DEEMMEND PERMISSION) मानकर विकास अनुमति जारी की गई है।" साथ ही उल्लेख किया गया है, कि विषयांकित भूमि के संबंध में मानानीय उच्च न्यायायल में प्रकरण प्रचलन में है, एवं स्थगन जारी है तथा उक्त भूमि प्राधिकारी योजना क्रमांक 114 भाग–2 के अंतर्गत है, किन्तु नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा जारी उक्त वार्णित विकास अनुमति के आधार पर आवेदक द्वारा विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जिस वाद बहुल्यता बढने की संभवना है, इसलिए उक्त विकास अनुमति को निरस्त किया जाना उचित होगा।

अविरत.................(02)

उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के क्रम में एवं विकास अनुज्ञा पत्र क्रमांक 4315 दिनांक 21/03/2018 में उल्लेखित शर्त क्रमांक 05, 27, 31, 32 का पालन/पूर्ति ना होने से विकास अनुज्ञा स्वतः समाप्त हो चूकी हैं, अतः आपको सूचित किया जाता है, कि विकास अनुज्ञा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4315 दिनांक 21/03/2018 को निरस्त किया जाता है। उक्त अनुज्ञा के आधार पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण नही किया जावें, किसी भी अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जवाबदेह रहेगे।

अपर आयुक्त
कॉलोनी सेल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

अपर आयुक्त
कॉलोनी सेल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक ..../कॉलोनी सेल/2025

दिनांक ....

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर उपरोक्तानुसार जानकारी हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. भू—अर्जन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर उपरोक्तानुसार आपके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य नगर निवेशक, भवन अनुज्ञा शाखा, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. भवन अधिकारी झोन क्रमांक 07 नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र की छायाप्रति उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के क्रम में भेजते हुवें लेख हैं, कि सदर स्थल पर किसी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य ना हो, यह सुनिश्चित करें।

अपर आयुक्त
कॉलोनी सेल
नगर पालिक निगम, इन्दौर